संख्या-4/2016-2595/चौदह-4-2016-500(15)/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश,शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

वन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक, 04 फरवरी, 2016**

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-687/21-1 (एफ0डी0ए0 सामान्य) दिनांक 02.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरानिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-एम.ई.एफ0(एन.ए.ई.बी)35-27-1/2015-बी-।।, अथेन्टिकेशन नं0-एम.ई.एफ0(एन.ए.ई.बी):15/2015-16 दिनांक 16.11.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के वचनबद्ध कार्यों के लिये कुल रू0 357.62 लाख के कार्यमदों को अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रस्तावित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) हेतु केन्द्रांश के रूप में रखे गये परिव्यय में से रू0 74.955 लाख परिव्यय का उपयोग राज्यांश के रूप में किये जाने की अनुमति नियोजन विभाग द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

2- अत: अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.12.2015 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत रू0 149.91 लाख की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष

स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
16–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	14991
42-अन्य व्यय	**-**
योग-	**14991**

(रू0 एक करोड़ उन्चास लाख इक्यान्बे हजार मात्र)

1- उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय वनीकरण योजना (सामान्य वर्ग) अनुमोदित कार्यों तथा फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि के अन्तर्गत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.11.2015 में विहित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि का व्यय वन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4164/14-4-2014-500(51)/2014 दिनांक 09.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी) से योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत:प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन के अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा व्यय करते मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग क्षरा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-200-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभसागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्श्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

8- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

9- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 02.12.2015 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-2595(1)/चौदह-4-2016-500(15)/2015 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।